संशोधित MIS दिशानिर्देश

स्रोत: पी.आई.बी.

सरकार ने अधिक राज्यों को MIS लागू करने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु **बाज़ार हस्तक्षेप योजना (MIS) के दिशा-निर्देशों** को संशोधित किया है।

- MIS के तहत **शीघ्र खराब होने वाली ऐसी फसलों (फल, सब्जियाँ, मसाले आदि)** को समर्थन प्रदान किया जाता है जो **MSP** के अंतर्गत नहीं आती हैं, जिससे **अधिक उत्पादन** के कारण **कीमतों में गिरावट** के दौरान **संकटपूर्ण बिक्री** को रोका जा सकता है।
- **MIS के संशोधित प्रावधान:**
  - MIS को **PM-AASHA** की व्यापक योजना का एक घटक बनाया।
  - पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में प्रचलित **बाज़ार मूल्य** में न्यूनतम 10% की कमी होने पर ही MIS को लागू किया जाएगा।
  - फसलों की उत्पादन मात्रा की खरीद/कवरेज सीमा को मौजूदा **20% से बढ़ाकर 25%** कर दिया गया है।
  - राज्य के पास भौतिक खरीद के स्थान पर सीधे किसानों के बैंक खाते में **बाज़ार हस्तक्षेप मूल्य (MIP) और बिक्री मूल्य** के बीच अंतर भुगतान करने का विकल्प भी दिया गया है।
  - इसके अलावा, जहाँ **उत्पादन और उपभोक्ता** राज्यों के बीच टॉप फसलों (टमाटर, प्याज और आलू) की कीमत में अंतर है, किसानों के हित में, **NAFED** और **NCCF** जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों (CNA) द्वारा उत्पादक राज्य से अन्य उपभोक्ता राज्यों तक फसलों के भंडारण और परिवहन में होने वाली परिचालन लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
  - **FPO, FPC** और राज्य-नामित एजेंसियाँ बाज़ार में उतार-चढ़ाव को स्थिर करने के लिये **खरीद, भंडारण एवं परिवहन** का कार्य संभालेंगी।

और पढ़ें: किसानों के कल्याण हेतु योजनाएँ

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/revised-mis-guidelines